पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

1. पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) क्या है?

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना एक मौसम सूचकांक आधारित बीमा योजना है, जो प्रतिकूल मौसम मानकों जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता आदि के कारण फसल को होने वाले नुकसान को कवर करती है । जो किसानों को प्रतिकूल मौसम की परस्तिथियों के परिणामस्वरूप खेतो में होने वाली हानि से सुरक्षा उपलब्ध करवाती है।

---

2. मौसम के कौन से मापदंड हैं जिनकी वजह से फसल प्रभावित होती है और जोखिम कवर किया जाता हैं?

मौसम के मापदंडों में कमी / अधिक वर्षा, सूखे दिनों की परेशानी (सूखा), तापमान का अत्यधिक उतार-चढ़ाव, उच्च / निम्न तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, हवा की गति और / या ऊपर का संयोजन हो सकता है।

प्रत्येक फसल के लिए उत्पाद के नियम और शर्त पूर्व निर्धारित और सरकारी अधिसूचना में उल्लिखित हैं।

---

3. दावे का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?

a. क्लेम की गणना उत्पाद की टर्म शीट में उल्लिखित पूर्व सहमत सहिष्णुता या सीमा स्तर से विचलन के लिए की जाती है और दावों की गणना के लिए किसी अन्य पद्धति उपयोग नहीं किया जाता है ।

b. अधिसूचित मौसम केंद्रों पर दर्ज किए गए मौसम के आंकड़ों के आधार पर किए गए दावों का मूल्यांकन किया जाएगा और मौसम के आंकड़े प्राप्त होते ही दावों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

c. दावा प्रक्रिया सख्ती से उत्पाद टर्म शीट , भुगतान सरंचना और योजना प्रावधानों के अनुसार होंगी।

d. मौसम डेटा IMD (भारतीय मौसम विभाग), NCML (नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट लिमिटेड), SKYMET आदि जैसे स्वतंत्र डेटा स्रोत से प्राप्त किया जाता है, जो सरकार द्वारा अनुमोदित होते हैं।

e. दावा मूल्यांकन के लिए फसल सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि विशेष रूप से सरकारी अधिसूचित उत्पाद टर्म शीट में इसे विशेष तौर उल्लिखित न किया जाए ।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX

4. इस योजना के तहत कौन सी फसल को कवर किया जा सकता है?

ज्यादातर बागवानी और वार्षिक वाणिज्यिक फसलें RWBCIS के अंतर्गत आती हैं।

5. इस योजना के तहत प्रीमियम दर क्या है?

बागवानी और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए किसानों द्वारा देय प्रीमियम दर बीमित राशि का 5% या बीमांकिक प्रीमियम दर जो भी कम हो।

6. क्या ओलावृष्टि को कवर किया जाता है ?

ओलावृष्टि केवल तभी कवर किया जाता है जब सरकार द्वारा सरकारी अधिसूचना में उत्पाद को इसके लिए अतिरिक्त कवर के तौर पर मंजूरी दी जाती है।

ओलावृष्टि के लिए अतिरिक्त कवर: अधिसूचित क्षेत्र में पृथक खेतों को प्रभावित करने वाले ओलावृष्टि की घटना से होने वाली हानि / क्षति।

यदि ओलावृष्टि के कारण फसल के नुकसान होते हैं जो एक अधिसूचित इकाई के एक हिस्सा को प्रभावित करती हैं, किसान को दावा करने के लिए पात्र है।

I. पात्रता मापदंड:

केवल वे किसान जिन्होंने प्रीमियम / प्रीमियम का भुगतान किया है, क्षति का दावा करने से पहले उनके खाते से डेबिट किया गया है।

नोट: अधिकतम भुगतान निवेशों की लागत से परस्पर संबधित , बीमित आपदा के उत्पन्न होने पर व्ययित , और कुल बीमित राशि के अधीन होगा ।

II. हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX

किसान को ओलावृष्टि / ओलावृष्टि की स्थिति में क्षति के बाद 72 बजे तक सूचना प्रदान करने की आवश्यकता है, हमारे कॉल सेंटर नंबर 1800 266 0700 पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए और सूचना में सर्वेक्षण संख्या-वार बीमा फसल और प्रभावित एकड़ का विवरण होना चाहिए। ।

किसान को बाद में सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ दावों के भुगतान के लिए अपेक्षित रूप में भरे हुए फॉर्म को भी प्रदान करना चाहिए।

नुकसान आकलनकर्ता को नियुक्त किया जाएगा और मूल्यांकन निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाएगा, जो नुकसान के आकलन की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद दावों का निपटान किया जाएगा।

दावों से संबंधित प्रश्नों के लिए ग्राहक हमारे कॉल सेंटर 1800 266 0700 पर कॉल कर सकते हैं या care@hdfcergo.com पर मेल लिख सकते हैं

---

7. सामान्य प्रीमियम अनुदान अनुपात क्या होगा?

a. एक्चुरियल प्रीमियम दर और किसान देय प्रीमियम दर के बीच अंतर को सामान्य प्रीमियम सब्सिडी दर के रूप में माना जाएगा, जिसे केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।
b. कुछ राज्य अपनी अधिसूचना के अनुसार अपने बजट से निर्धारित सब्सिडी से ऊपर और ऊपर अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करते हैं और किसान उसी पर सरकार की वेबसाइट पर स्थिति की जांच कर सकते हैं।

---

8. आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत कवर की जाने वाली किसान पात्रता क्या है?

सभी किसानों के पास बीमा योग्य हित इन योजनाओं के तहत कवर किए जा सकते हैं, जिनमें अंशधारक और किरायेदार किसान शामिल हैं।

- ✓ किसानों को अधिसूचित / बीमित फसलों के लिए बीमा योग्य ब्याज होना चाहिए।
- ✓ इस योजना को ऋणदाता किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाया गया है

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX

- ✓ वे सभी किसान जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए किसी भी वित्तीय संस्थान (सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक आदि) से मौसमी कृषि संचालन ऋण अर्थात ऋण लिया है और जिन्होंने योजना से 7 दिन पहले नहीं चुना है। कट ऑफ डेट, उनके वित्तीय संस्थानों द्वारा योजना के तहत नामांकन के लिए पात्र होंगे। तब बैंक / सीएससी / बिचौलिए को भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर किसानों को www.pmfby.gov.in कट-ऑफ डेट के भीतर

गैर-ऋणी किसानों को राज्य में प्रचलित भूमि अभिलेखों (रिकॉर्ड्स ऑफ राइट (आरओआर), भूमि कब्जे प्रमाण पत्र (एलपीसी) आदि) और / या लागू अनुबंध / समझौते के विवरण / अधिसूचित / अनुमति के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा (अंशधारकों / किरायेदार किसानों के मामले में)।

किसी भी अधिसूचित बीमा इकाई में किसी भी अधिसूचित फसल के लिए PMFBY योजना के तहत बीमा नहीं करने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान और काश्तकार, कट-ऑफ तारीख, भरने के प्रस्ताव के भीतर निकटतम बैंक शाखा / PACS / अधिकृत चैनल पार्टनर / बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थ से संपर्क कर सकते हैं। पूरी तरह से निर्धारित प्रारूप में, आवश्यक दस्तावेज साक्ष्यों के साथ बैंक शाखा / बीमा मध्यस्थ / सीएससी केंद्रों में आवश्यक प्रीमियम जमा करें।

बीमा के लिए प्रस्तावित भूमि / फसल (जैसे स्वामित्व / किरायेदारी / खेती के अधिकार) पर खेती करने में उसकी बीमा योग्य रुचि के बारे में।

- ✓ कवरेज के इच्छुक किसान को नामित बैंक की शाखा में एक खाता खोलना / संचालित करना चाहिए, और विवरण प्रस्ताव रूप में प्रदान किया जाना चाहिए।
- ✓ किसानों को प्रस्ताव में अपनी भूमि की पहचान संख्या का उल्लेख करना चाहिए और खेती योग्य भूमि पर कब्जा करने के संबंध में दस्तावेजी सबूत प्रदान करना चाहिए। कृषक को पुष्टि प्रमाण पत्र बोया गया क्षेत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

- ✓ किसान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे एक अधिसूचित फसल (खेती) के लिए बीमा कवरेज प्राप्त हो, जिसकी खेती प्रस्तावित है, एक ही स्रोत से और एक ही स्रोत में। किसी भी डुप्लिकेट या दोहरे बीमा

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX

की अनुमति नहीं है और ऐसे किसी भी मामले में किसान कवरेज के लिए पात्र नहीं होगा। बीमा कंपनी ऐसे सभी दावों को रद्द करने और प्रीमियम वापस करने के साथ-साथ ऐसे मामलों में वापस नहीं करने का अधिकार सुरक्षित रखेगी।

- ✓ कंपनी ऐसे किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है।
- ✓ फसल योजना में कोई भी बदलाव कट-ऑफ-डेट से कम से कम 2 दिन पहले बैंक के ध्यान में लाया जाना चाहिए।
- ✓ बीमा प्रस्ताव केवल एसएलसीसीसी / राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित घोषित तिथि के अनुसार निर्धारित तिथि तक स्वीकार किए जाते हैं।

इन दोनों ही घटकों के तहत योजना अधिकतम अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को कवर करने का भी लक्ष्य रखती है।

---

9. क्या आरडब्ल्यूबीसीआईएस के लिए नामांकन की कोई समयसीमा है?

सभी नामांकन संबंधित राज्य सरकार अधिसूचना में निर्धारित निदिर्ष्ट तिथि के भीतर अवश्य पुरे हो जाने चाहिए और किसानों के हिस्से का प्रीमियम को भी बिचौलिए बैंक द्वारा निदिर्ष्ट तिथि के भीतर बिमा कंपनी को विधिवत सौंप दिया जाना चाहिए। निदिर्ष्ट तिथि से कोई भी देर होने के मामले में बिमा कंपनी के पास दावे को अस्वीकृत करने का अधिकार है।

---

10. व्यक्तिगत किसान के लिए बीमित राशि की सिमा क्या है?

व्यक्तिगत किसान के लिए बीमित राशि बीमा के लिए किसानों द्वारा अधिसूचित फसल के क्षेत्र से गुणा प्रति हेक्टेयर वित्त के पैमाने के बराबर है। खरीफ 2020 के लिए एचडीएफसी एर्गो को आवंटित राज्यों में विभिन्न फसलों के बीमित राशि को संबंधित राज्यों के खंड पर देखा जा सकता है।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX

11. ऋण लेने वाले किसानों से प्रस्ताव और प्रीमियम की संग्रह प्रक्रिया क्या है?

सभी ऋणदाता किसानों के लिए इस योजना को स्वैच्छिक बनाया गया है।

सभी किसान जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए मौसमी कृषि संचालन ऋण अर्थात किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण लिया है (सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक आदि) और जिन्होंने कटौती से 7 दिन पहले योजना से बाहर रहने के पत्र बैंक को नहीं दिया तो वो किसान इस योजना में शामिल कर दिया जायेगा, अपने वित्तीय संस्थानों द्वारा योजना के तहत नामांकन के लिए पात्र होंगे। फिर बैंक / सीएससी / इंटरमीडिएट को भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर किसानों के नाम www.pmfby.gov पर पंजीकृत किया जाएगा।

12. गैर ऋणी किसानों से प्रस्ताव और प्रीमियम एकत्र करने की प्रक्रिया क्या है?

a. गैर ऋणदाता किसान - चैनल पार्टनर / बिचौलिये / सीएससी

उन सभी किसानों को जिन्होंने SOA ऋण का लाभ नहीं उठाया है और बीमा योग्य ब्याज है, उन्हें केवल निकटतम वाणिज्यिक बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) या PACS (DCCB) शाखा में जाकर कवर किया जा सकता है। बैंक अधिकारी प्रस्ताव फार्म भरने, संबंधित दस्तावेज, बीमित राशि और लागू प्रीमियम आदि से संबंधित किसानों की सहायता और मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे मामलों के लिए बैंक खाते का संचालन आवश्यक है।

वे सभी किसान जिन्होंने एसओए ऋण का लाभ नहीं लिया है और बीमा योग्य ब्याज प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें भी प्रस्ताव फार्म और आवश्यक प्रीमियम राशि के साथ संबंधित दस्तावेजों को भरकर कवर किया जा सकता है और आईआरडीए, मध्यस्थों द्वारा अनुमोदित और नामित के लिए एक ही जमा कर सकते हैं। जमीन के रिकॉर्ड, 7/12 अर्क या भूमि अधिकारों के रिकॉर्ड, बुवाई प्रमाण पत्र, आईडी प्रमाण, बैंक पासबुक, से संबंधित बीमा योग्य ब्याज और प्रासंगिक दस्तावेज को सत्यापित करने के लिए नामित मध्यस्थ रद्द किया गया चेक -

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX

केवल यदि फोटो आईडी बैंक पासबुक में उपलब्ध नहीं है और शेयरधारक या किरायेदारों के मामले में अनुबंध / अनुबंध लागू नहीं है। आवश्यक प्रीमियम जमा करने और प्रस्तुत करने के लिए बिचौलिये, व्यक्तिगत कंपनी / बीमा प्रीमियम को प्रेषित करते हैं, साथ ही व्यक्तिगत प्रस्ताव प्रपत्र और घोषणाओं / सूची पत्र (एमआईएस) में सारांश विवरण, आईए को सॉफ्ट कॉपी प्रदान करते हैं और प्रत्येक बीमाकर्ता के विवरण भी अपलोड करेंगे और अपलोड भी करेंगे फसल बीमा पोर्टल पर सीधे डेटा।

b. गैर ऋणदाता किसान वैकल्पिक घटक के तहत - सीधे बीमा कंपनियों के लिए।

बीमा योग्य ब्याज वाले गैर-ऋणी किसान डाक से बीमा कंपनियों के माध्यम से या आवश्यक प्रीमियम और प्रासंगिक दस्तावेज के साथ फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव भेज सकते हैं यानी शेयर रिकॉर्ड या किरायेदारों के मामले में भूमि रिकॉर्ड या लागू समझौता / अनुबंध।

बीमा कंपनियां बीमा प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार बरकरार रखती हैं। यदि कोई प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है, तो प्रस्ताव प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा। प्रस्ताव फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें _____

---

13. क्या नामांकन के लिए कोई कट ऑफ डेट हैं?

A. किसानों से प्रीमियम एकत्र करने के लिए बैंकर्स - ऋण और गैर ऋण लेने वाले किसानों दोनों के लिए किसानों के खाते से प्रस्ताव फार्म / डेबिट की प्राप्ति के लिए कट-ऑफ तारीखें, खरीफ के लिए - 31 जुलाई और रबी - 31 दिसंबर

B. बैंकरों को बीमा कंपनी में जमा करने के लिए - नोडल बैंक / बैंक शाखाओं से समेकित घोषणा / प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए कट-ऑफ तारीखें, ऋणी किसानों के लिए 15 दिनों के भीतर और गैर-ऋणी किसानों के लिए 7 दिनों की कट-ऑफ तारीख से किसानों के प्रीमियम की डेबिट तिथि होगी। क्रमशः खरीफ और रबी मौसम के लिए जवाबदेह।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX

C. बीमा कंपनी को प्रस्तुत करने के लिए बीमा मध्यस्थ - निर्दिष्ट बीमा एजेंट से प्रस्ताव की प्राप्ति के लिए कट-ऑफ की तारीखें क्रमशः घोषणा / प्रीमियम प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर होगी।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि न तो डीएसी और एफ डब्ल्यू न किसी भी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार को किसी भी परिस्थिति में मौसम की कट-ऑफ तारीखों को तय करने और अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

---

14. क्या पोर्टल में डेटा दर्ज करने के लिए कोई कट ऑफ डेट हैं?

बैंकरों और बिचौलियों - किसी भी बैंकर या मध्यस्थ के माध्यम से किए गए सभी नामांकन, फसल बीमा पोर्टल में व्यक्तिगत बीमाकृत किसानों के डेटा की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने की कट-ऑफ तारीख प्रीमियम के संग्रह की कट-ऑफ की तारीख के 15 दिनों के भीतर होंगे।

---

15. बीमा कंपनी डेटा प्राप्त करने के बाद दावों का निपटान कब करेगी?

बीमा कंपनियों को पॉलिसी समाप्ति तिथि के तीन सप्ताह के भीतर अंतिम दावों का भुगतान करना चाहिए

---

16. मूल्य निर्धारण या प्रीमियम दर प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनियों की मूल आवश्यकताएं क्या हैं?

A. योजना बीमा इकाई (IU) नामक चयनित परिभाषित क्षेत्र में क्षेत्र दृष्टिकोण के सिद्धांत पर काम करेगी। राज्य सरकार मौसम स्टेशनों को स्थापित करने के लिए बीमा इकाई को सूचित करना चाहिए।
B. कर्जदार और गैर-कर्जदार दोनों किसानों के लिए प्रति बीमित राशि जिला स्तर की तकनीकी समिति और एसएलसीसीआई द्वारा पूर्व घोषित और बीमा कंपनियों को सूचित करने के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस के समान और बराबर होगी।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX

17. बैंक और बिचौलियों को देय आयोग और बैंक शुल्क क्या हैं?

बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों इत्यादि को किसानों से एकत्रित प्रीमियम का 4% सेवा शुल्क के रूप में भुगतान किया जाएगा। किसानो को बिमा से संबंधित सेवाएं प्रदान करने में लगे ग्रामीण अभिकर्ताओं को भारतीय बिमा विनियामक एव विकास प्राधिकरण (IRDA) नियमों के तहत निर्धारित कैंपिंग के आधीन , बिमा कंपनी द्वारा तय किए गए उचित कमीशन का भुगतान किया जा सकता है।

19. क्या इस योजना के तहत सेवा कर लागू है?

आरडब्ल्यूबीसीआईएस को सेवा कर से छूट प्राप्त है।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX